FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– गुरमेल सिंह बनाम जलावर सिंह आदि

धारा :– 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 43 /2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.3.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। [signature]	
26.3.18	उभयपक्ष उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया। शा0 मि0 किया गया राजीनामा को तस्दीक किया गया। मर्द अहकाम पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान लिये जिसमें वादीगण की पहचान श्री अमरीकसिंह व प्रतिवादीगण की पहचान श्री सुरेन्द्रसिंह एड0 ने की पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 4/4/2018 को पेश हो। [signature]	गुरमेलसिंह, जलजिन्दरसिंह, पहचानकर्ता अमरीकसिंह (एड), जा0 ... सुरेन्द्रसिंह, सु रेवती
4.4.18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष ... [illegible] ... पत्रावली में ... [illegible] ... 9.4.18 को पेश हो।	
9.4.18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष ... [illegible] ... पत्रावली ... राजीनामा ... [illegible] ... पत्रावली ... पेश हो।	

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

का नाम .... एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

नम्बर	तारीख	तारीख

(2)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. गुरमेलसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलजिन्द्रसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

1. जलावरसिंह पुत्र नंदसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुखदीपकौर पुत्री जलावरसिंह पत्नि सुखपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा हनुमानगढ़ टाउन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :— 43 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

सत्यमेव जयते

उपस्थित :—

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादिगण
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 व 2

Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांक :— 9.5.18**

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 जलावरसिंह के नाम चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे 2.202 है0 मय गै.मु. व चक 47 एनजीसी खाता सं. 45/43 मे 1.518 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे 1.038 है0 मय गै.मु. व वादी सं. 1 के नाम चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे 0.253 है0 भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 43 एनजीसी के खाता सं. 94/82 मे 2.910 है0 मे 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा स्व. नंदसिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने पर वादीगण के पिता प्रतिवादी पर विरासतन औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 2 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपस मे बंटवारा कर लिया है। मुताबिक बंटवारा वादीगण को चक 48 एनजीसी के खाता

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 43 एनजीसी के खाता सं. 94/82 मे 1.455 है0 भूमि प्राप्त हुई है। अतः घोषणा की जावे कि चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 मे वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम कलमजन किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर श्री सुरेन्द्र सिहाग विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 जलावरसिंह के नाम चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे 2.202 है0 मय गै.मु. व चक 47 एनजीसी खाता सं. 45/43 मे 1.518 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे 1.038 है0 मय गै.मु. व वादी सं. 1 के नाम चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे 0.253 है0 भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 43 एनजीसी के खाता सं. 94/82 मे 2.910 है0 मे 1/2 हिस्सा के संबंध मे वाद पेश किया है। उक्त प्रकरण मे पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है। उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने घरूबंटवारा कर लिया है तथा उक्त घरूबंटवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 2 ने घरूबंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपस मे बंटवारा कर लिया है। मुताबिक बंटवारा वादीगण को चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 43 एनजीसी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

के खाता सं. 94/82 मे 1.455 है0 भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण को चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम कलमजन किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादी/प्रतिवादीगण राजीनामा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम प्रतिवादी सं. 1 जलावरसिंह के नाम चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे 2.202 है0 मय गै.मु. व चक 47 एनजीसी खाता सं. 45/43 मे 1.518 है0 मय गै.मु. व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे 1.038 है0 मय गै.मु. व वादी सं. 1 के नाम चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे 0.253 है0 भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 43 एनजीसी के खाता सं. 94/82 मे 2.910 है0 मे 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा स्व. नंदसिंह की भूमि थी जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात विरासतन हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण को जन्म से अधिकार हासिल है। उक्त वादग्रस्त भूमि का घरूबंटवारा कर लिया है मुताबिक घरूबंटवारा मुताबिक बंटवारा वादीगण को चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 को अपने स्वयं के नाम चक 43 एनजीसी के खाता सं. 94/82 मे 1.455 है0 भूमि प्राप्त हुई है। मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति एतराज नही है, राजीनामा मे जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादपत्र मे मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध चाहा

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

गया है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का आपस मे राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादीगण चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. गुरमेलसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलजिन्द्रसिंह पुत्र जलावरसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादीगण

बनाम

1. जलावरसिंह पुत्र नंदसिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुखदीपकौर पुत्री जलावरसिंह पत्नि सुखपालसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ओबीसी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा हनुमानगढ़ टाउन।

———प्रतिवादीगण

वाद संख्या :– 43 सन् 2018 निर्णय दिनांक ....

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 श्री सुरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादीगण चक 48 एनजीसी के खाता सं. 38/31 मे वादी सं. 1 के नाम दर्ज 0.253 है0 भूमि व चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.038 है0 भूमि व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.518 है0 भूमि व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2.202 है0 मय गै0मु0 मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा चक 46 एनजीसी के खाता सं. 39/32 व चक 47 एनजीसी के खाता सं. 45/43 व चक 50 एनजीसी के खाता सं. 49/46 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाता है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। आज दिनांक 9.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner